कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 2(7)कार्मिक/क–2/88

दिनांक: 06.10.08

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:– अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि कृपया संलग्न राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 में संशोधन की अधिसूचना (हिन्दी अनुवाद सहित) दिनांक 06.10.08को राजस्थान के असाधारण राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. दिनांक 06.10.08 में प्रकाशित कराने की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत पत्र जारी करने की व्यवस्था करें ।

भवदीय,

(बी0 के0 दोसी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 06.10.08 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) एस.आर. में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है । कृपया अधिसूचना से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।
2. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 171/2008 दि0 01.10.08 एवं ज्ञापन सं. प. 12(61)पपा/2001 दिनांक 11.9.08 के संदर्भ में ।
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/उप शासन सचिव, पशुपालन विभाग
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0 जयपुर।
5. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग को 9 अतिरिक्त प्रतियों के साथ
6. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार(प्रारूपण)
7. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी:–

1– सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ
2– सचिव, राजस्थान विधान सभा(अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) जयपुर को 20 प्रतियों के साथ ।
3– रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
4– सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
5– सम्पादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ ।
6– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
7– रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1– प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2– सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर ।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर ।
4– निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग ।
5– अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों में ।
6– गार्ड फाईल ।

61/2008

शासन उप सचिव

D Ganesh Forwarding not.-3

कार्मिक (क–2) विभाग

अधिसूचना

सं. एफ. 2 (7) डीओपी/ए–II/68 दिनांक : 6.10.08

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये 01.04.2001 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 2 का संशोधन .– राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (छछ) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(छछ) विलयन से भेड़ एवं ऊन विभाग और पशुपालन विभाग का विलयन अभिप्रेत है।"

3. नियम 4 का संशोधन .– उक्त नियमों के नियम 4 के विद्यमान उप नियम (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप–नियम (iv) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(iv) ऐसे व्यक्तियों को, जो तत्कालीन भेड़ एवं ऊन विभाग में सेवारत थे और नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ सं. 2 में उल्लिखित पद धारित कर रहे थे, उक्त सारणी के स्तम्भ सं. 3 में उनके सामने उल्लिखित पद पर नियुक्त किये हुए समझे जायेंगे, अर्थात् :–

सारणी

क.सं.	राजस्थान भेड़ एवं ऊन अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 का पद	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 का पद
1.	सहायक जिला भेड़ एवं ऊन अधिकारी / सहायक प्रयोगशाला अधिकारी / प्रयोगशाला सहायक	पशु चिकित्सा सहायक

4. नियम 30 का संशोधन .– उक्त नियमों के नियम 30 के विद्यमान उप–नियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप–नियम (11) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(11) भेड़ एवं ऊन विभाग और पशुपालन विभाग के विलयन के पश्चात् नियम 4 के उप–नियम (iv) के अधीन आने वाले "स्टाक सहायक" से भिन्न व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनके अपने–अपने विभागों में उस पद पर उनके नियमित चयन की तारीख से अवधारित की जायेगी, यदि ऐसे व्यक्तियों के नियमित चयन की तारीख एक ही हो तो पारस्परिक वरिष्ठता अपनी–अपनी सेवा के संवर्ग में निम्नतर पद पर उनके नियमित चयन की तारीख के आधार पर अवधारित की जायेगी। "स्टाक सहायक" के मामले में वे सामूहिक रूप से, 31.03.2001 को पशुधन सहायक का पद धारण करने वाले अन्तिम व्यक्ति के नीचे रखे जायेंगे।"

5. नियम 35 का संशोधन .– उक्त नियमों के नियम 35 के विद्यमान उपबंध को उप–नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार संख्यांकित उप–नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप–नियम (2) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(2) राजस्थान भेड़ एवं ऊन अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 दिनांक 01.04.2001 से निरसित हो जायेंगे।"

6. अनुसूची का संशोधन .– उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची में, –

(i) विद्यमान अनुभाग (क) पशुपालन अनुभाग और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"अनुभाग (क) पशुपालन अनुभाग

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक [illegible] अधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	पशु चिकित्सा सहायक	स्तम्भ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–
2	पशु चिकित्सा सहायक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	पशुधन सहायक	स्तम्भ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 8 वर्ष का अनुभव।	सहायक जिला भेड़ एवं ऊन विकास अधिकारी / सहायक प्रयोगशाला अधिकारी / प्रयोगशाला सहायक (अनुसंधान) का स्तम्भ सं. 2 पर उल्लिखित पद में विलयन हो गया है। (सहायक जिला भेड़ एवं ऊन विकास अधिकारी के पद को, विलयन के पश्चात् सरकार के आदेश द्वारा सहायक भेड़ एवं बकरी विकास अधिकारी के रूप में पुनःपदाभिहित किया गया था)
3.	पशुधन सहायक	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसमें से 10 प्रतिशत पशुधन परिचर के पद पर नियमित सेवा के 5 वर्ष के अनुभव सहित सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जायेगा।	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या उद्यान कृषि (कृषि), पशुपालन और जीव विज्ञान के साथ सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य और राजस्थान सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से पशुधन सहायक का एक वर्ष/दो वर्ष का प्रशिक्षण।	–	–	पर्यवेक्षक / प्रयोगशाला सहायक / दुग्ध अभिलेखक / प्रगणक / स्टाक सहायक का स्तम्भ सं. 2 में उल्लिखित पद में विलयन किया गया है।
4.	पशुधन परिचर	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	1. जलधारी 2. सफाईकर्ता 3. चरवाहा (भेड़)	किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 7वीं कक्षा उत्तीर्ण साथ में स्तम्भ 5 मे उल्लिखित पदों पर नियमित सेवा का 5 वर्ष का अनुभव।	(विलयन के पूर्व पशुपालन विभाग के अधीन) ड्रेसर / प्रयोगशाला परिचर / सईस / चरवाहा का स्तम्भ 2 में उल्लिखित पद में विलयन और उसके रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है।
5.	जलधारी	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण	–	–	–
6.	सफाईकर्ता	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण	–	–	–
7.	चरवाहा (भेड़)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण	–	–	तत्कालीन भेड़ एव ऊन विभाग के चरवाहा को चरवाहा (भेड़) के रूप में पुनःपदाभिहित किया गया है।

(ii) विद्यमान अनुभाग (ख) सामान्य अनुभाग और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"अनुभाग (ख) सामान्य अनुभाग

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	यांत्रिक (ग्रे. I)	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	यांत्रिक (ग्रे. II)	स्तम्भ 5 में उल्लिखित पद पर नियमित सेवा का 5 वर्ष का अनुभव।	यांत्रिक (वरिष्ठ) के पद को यांत्रिक (ग्रे. I) के रूप में पुनःपदाभिहित किया गया है।
2.	बढ़ई	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	बढ़ईगिरी में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र	–	–	–
3.	यांत्रिक (ग्रे. II)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	विद्युत व्यापार में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र	–	–	यांत्रिक (कनिष्ठ) के पद को यांत्रिक (ग्रे. II) के रूप में पुनःपदाभिहित किया गया है।
4.	मोटरयान/ट्रेक्टर ड्राइवर	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसमें से 25 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी सेवक/पशुधन परिचर /जलधारी/सफाईकर्ता/ चरवाहा (भेड़), के रूप में कार्य करने वाले ऐसे सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जायेगा जो विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति के धारक हों और ऐसे यान को चलाने का 5 वर्ष का अनुभव रखते हों।	किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय से हवीं कक्षा उत्तीर्ण साथ में हल्के/भारी/विशेष वर्ग की यान चालन अनुज्ञप्ति और ऐसे यान को चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।	–	–	–
5.	एम्प प्रचालक (ग्रे. II)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	संबंधित व्यापार में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र	–	–	पम्प प्रचालक के पद को पम्प प्रचालक (ग्रे. II) के रूप में पुनःपदाभिहित किया गया है।
6.	रेडियोग्राफर	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	–	सहायक रेडियोग्राफर	स्तम्भ सं. 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	–
7.	सहायक रेडियोग्राफर	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	सैकण्डरी या उसके समतुल्य साथ में 18 माह का रेडियोग्राफर पाठ्यविवरण उत्तीर्ण।	–	–	एक्स–रे तकनीशन के पद को सहायक रेडियोग्राफर के रूप में पुनःपदाभिहित किया गया है।
8.	डार्करूम सहायक (एक्स–रे)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	सैकण्डरी साथ में एक्स–रे कार्य में 5 वर्ष का अनुभव।	–	–	–
9.	डार्करूम सहायक (फोटोग्राफी)	–	–	–	–	समाप्त संवर्ग।

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

(बी.के. दोसी)
शासन उप सचिव।

61/08